

458  
2024

30.9.24

वकील वादी/उभयपक्ष उप0। साक्ष्य वादी में  
वादी विकास कुमार ने शपथ पत्र  
अं. आ. 18 नि. 4 सीपीसी मय दरतावेज पेश  
किया। अधि0 अरुण प. श. ने अन्य कोई  
साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किया। पत्रावली  
वास्ते बदस दिनांक 9.10.24  
को पेश हो।

वि. नं. 11  
इ. नं. 185  
जही पत्रावली  
चाहते हैं।  
Arudh  
30/9/24  
हनुमानगढ़  
9/10/24

+

वाद-पत्र  
अ. धारा 88 राज.  
कारशतकारी अधिनियम

1. विकास कुमार पुत्र जगदीश  
हनुमानगढ़।
2. तनिष्क विशनोई पुत्र विवेक  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वकील उभयपक्ष उपः। अधिवक्ता वादी  
में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश  
किये। शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली  
वास्ते बदस दिनांक 14.10.24 को पेश हो।

+

1. जगदीश चंद्र पुत्र राजा  
जिला हनुमानगढ़।
2. गायत्री देवी पत्नी विनोद  
अबोहर जिला फाजिलपुरा।
3. अखिल कुमार पुत्र नवि  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व संत  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

14/10/24

वकील उभयपक्ष उपः। बदस सुनी गई।  
वाद वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग  
से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया  
गया। पचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फंसल  
शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायलय में सुनाया गया।

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



- श्रीमान् जी,
1. यह कि वादीगण व प्रतिवादी  
आज्ञापक प्रावधानों के अधिनियम  
अनुसार प्रमाणित किया गया है।
  2. यह कि चक 2 एन.टी. डी.  
इसी चक 2 एन.टी. डी. का  
खाता 1.012 है, का  
रिकॉर्ड जमाबन्दी संत  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।